न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद

पीठासीनः **नीरज कुमार** ....एच०जे०एस० **ID No.U.P 1907)**
CNR No.UPFR010015732018

सत्र परीक्षण सं०-72/2018

राज्य

बनाम

1- रमेश पुत्र विश्राम सिंह निवासी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद।
2- राजकुमार पुत्र मुलायम निवासी ग्राम रम्पुरा थाना अमृतपुर
3- सत्यवीर सिंह यादव पुत्र वेदराम यादव
4- श्यामवीर यादव पुत्र वृन्दावन यादव
5- सरपंच पुत्र जोगराज यादव
निवासीगण नगला खुशाली थाना अमृतपुर

अप० सं०-129/2017
धारा- 147,148,,302/149, 303/149,120 बी भा०दं०सं
थाना- अमृतपुर**,** जिला फर्रुखाबाद

एवं

CNR NoUPFR010015752018

सत्र परीक्षण संख्या 73/2018

राज्य

बनाम

रमेशचन्द्र पुत्र स्व० विश्राम सिंह निवासी ग्राम चपरा**,** थाना अमृतपुर**,** जनपद फर्रुखाबाद

अपराध संख्या–141/2017
धारा– 25/27 आयुध अधिनियम।
थाना– अमृतपुर, जिला फर्रुखाबाद

निर्णय

1– प्रस्तुत सत्र परीक्षण, थाना अमृतपुर जिला फर्रूखाबाद की पुलिस/विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 129/2017 अन्तर्गत धारा 302,34,147,148,149,303,120 बी भा०दं०सं० में अभियुक्तगण रमेश, राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर व सरपंच के विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क–19 विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दिनांक 25.11.2017 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा प्रंसज्ञान लिया गया तथा सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 141/2017 अन्तर्गत धारा

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.06.08 16:30:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त रमेश के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–13 को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.10.2017 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। दिनांक 09.05.2018 को अप० संख्या 129/2017, अप०सं० 141/2017 को सत्र सुपुर्द करने पर विचारण चलाया गया। चूंकि दोनों ही मामले एक ही घटनाक्रम से संबंधित बताये गये हैं अतः सुविधा की दृष्टि से इनका एक साथ निस्तारण इस निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2017 को वादिनी मुकदमा विटोली ने एक लिखित प्रार्थनापत्र थानाध्यक्ष थाना अमृतपुर, फर्रुखाबाद को इस आशय का प्रस्तुत किया कि "आज दिनांक 27.08.17 को समय करीब 10 बजे रात मेरे पति विश्राम सिंह उम्र करीब 75 वर्ष जो मेरे दरवाजे पर चारपाई डाल कर लेटे थे मैं भी उनके पास ही चारपाई डाल कर लेटी थी तभी रामपाल पुत्र लालाराम, शिवपाल पुत्र सोने लाल बटेश्वर पुत्र श्री कृष्ण व जयकरन पुत्र रामपाल समस्त निवासीगण चपरा थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद मेरे दरवाजे पर आये तथा एक राय होकर मेरे पति विश्राम सिंह को तमंचे से गोली मार दी जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गये तथा उपरोक्त सभी लोग गोली मार कर मौके से भाग गये गोली मारते व भागते समय बिजली की रोशनी में देखा व पहचाना उपरोक्त लोगों से मेरी पहले से पुरानी रंजिश चली आ रही है मैं अपने पति को इलाज हेतु कुछ लोगों की मदद से लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद ले गयी थी जहाँ पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अतः श्रीमानजी से अनुरोध है कि रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3– वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 28.08.2017 को समय 00.50 बजे रामपाल, शिवपाल, बटेश्वर व जयकरन के विरूद्ध अपराध संख्या 129/2017 धारा 302, 34 भा०दं०सं० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 तथा दिनांक 31.08.2017 को समय 17.05 बजे अपराध संख्या 141/2017 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम रमेश, के तहत क्रमशः प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना अमृतपुर में दर्ज की गयी जिसका इन्द्राज क्रमशः जी०डी० नं० 02 दिनांकित 28.08.2017 व जी.डी. नं 19 दिनांकित 31.08.2017 पर समय 17.05 बजे किया गया। विवेचना एस.ओ. नरेन्द्र प्रताप गौतम के सुपुर्द हुयी।

4– विवेचक ने घटनास्थल पर पहुंच कर वादिनी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–14 तैयार किया। घटनास्थल से सादा मिट्टी व खूनआलूदा मिट्टी को अलग–अलग डिब्बों में रखकर सील सर्व मोहर किया तथा मृतक के पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। स्वतंत्र साक्षी परशुराम, फूलचन्द्र, रामभजन व रावेन्द्र के बयान अंकित किये। घटनास्थल के पास से बुलेट बरामद किया जिसकी फर्द मौके पर तैयार की। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्राप्त कर नकल अंकित की। दौरान विवेचना मृतक को गोली मारकर नामजद अभियुक्तगण को फंसाने के बाबत मृतक

के पुत्र रमेश तथा उसके साथियों के नाम प्रकाश में आये जिससे अग्रिम विवेचना रमेश, राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर व सरपंच के विरुद्ध प्रचलित की गयी। अभियुक्त रमेश की निशानदेही पर तमंचा 315 बोर व खोखा कारतूस बरामद किया तथा बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–18 तैयार किया एवं अभियुक्त राजकुमार को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया एवं दौरान गिरफ्तारी जामा तलाशी में एक अदद तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस बरामद किये जिसकी फर्द मौके पर ही तैयार की। घटनास्थल से प्राप्त बुलेट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भिजवाया। पी.एम. कराने वाले पुलिस कर्मचारी के बयान अंकित किये। विवेचनोपरांत अभियुक्तगण रमेश, राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर व सरपंच के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उसके विरूद्ध धारा 302, 34, 147, 148, 149, 303, 120B भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रदर्श क–19 तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त रमेश के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–13 विचारण न्यायालय में प्रेषित किये।

5– अभियुक्तगण रमेश, राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर व सरपंच के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 302, 34, 147, 148, 149, 303, 120 बी का प्रसंज्ञान विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 25.11.2017 को लिया गया एवं अभियुक्त रमेश के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट का प्रसंज्ञान विद्वान 30.10.2017 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया एवं प्रकरणों को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 09.05.2018 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया एवं सत्र न्यायालय में अभियुक्तगण रमेश, राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर व सरपंच के विरुद्ध दिनांक 05.06.2018 को धारा 147, 148, 302/149, 303/149, 120 बी भा०दं०सं० एवं अभियुक्त रमेश के विरुद्ध धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में आरोप विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया एवं विचारण की मांग की, अतः विचारण आरम्भ हुआ।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए पी०डब्लू 1 कमलेश, पी०डब्लू 2 रामकुमार, पी०डब्लू 3 फूलचन्द्र, पी०डब्लू 4 रावेन्द्र, पी०डब्लू 5 सुभाष , पी.डब्लू. 6 उपेन्द्र, पी.डब्लू. 7 शिशुपाल सिंह सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक, पी.डब्लू. 8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हरिओम शर्मा, पी.डब्लू. 9 डा० दीपेन्द्र अवस्थी, पी.डब्लू. 10 उपनिरीक्षक दलवीर सिंह, पी.डब्लू. 11 निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप गौतम, पी.डब्लू. 12 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिव कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है।

7– अभियोजन पक्ष की तरफ से अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित अपराध संख्या 129 प्रदर्श क–2, कायमी जी.डी. प्रदर्श क–3, प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित अपराध संख्या 141/2017 प्रदर्श क–4, कायमी जी.डी. प्रदर्श क–5, पंचायतनामा प्रदर्श क–6, चिट्ठी सी.एम.ओ.प्रदर्श क–7, फोटो नाश प्रदर्श क–8, चालान नाश पुलिस फार्म 13 प्रदर्श क–9, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–10, नक्शा नजरी प्रदर्श क–

11, अभियोजन स्वीकृति विरुद्ध अभियुक्त रमेश सम्बन्धित अपराध संख्या 141/17 प्रदर्श क–12, आरोप पत्र सम्बन्धित अपराध संख्या 141/2017 प्रदर्श क–13, नक्शा नजरी सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 129/2017 प्रदर्श क–14, फर्द लेने कब्जा मिट्टी खूनआलूदा व मिट्टी सादा प्रदर्श क–15, फर्द लेने कब्जा एक अदद बुलेट प्रदर्श क–16, फर्द बरमादगी एक अदद तमंचा देशी 315 बोर, व 01 खोखा कारतूस 315 बोर प्रदर्श क–17, नक्शा नजरी आलाकत्ल सम्बन्धित अपराध संख्या 129/2017 प्रदर्श क–18, आरोप पत्र सम्बन्धित अपराध संख्या 129/2017 प्रदर्श क–19, सी.डी.आर. अभियुक्त रमेश प्रदर्श क–20, सी.डी.आर. अभियुक्त राजकुमार प्रद्श क–21, सी.डी.आर. अभियुक्त सत्यवीर सिंह प्रदर्श क–22 तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट संख्या70182 प्रदर्श क–23 तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट संख्या 110377 प्रदर्श क–24 तथा मुकदमा अपराध संख्या 141/17 से सम्बन्धित माल मुकदमाती खोखा कारतूस TC–1 वस्तु प्रदर्श–1, खोखा कारतूस TC–2 वस्तु प्रदर्श–2, खोखा कारतूस EC–1 को वस्तु प्रदर्श–3, तमंचा 315 बोर को वस्तु प्रदर्श–4 तथा दोनों सील सर्व मोहर कपडों को वस्तु प्रदर्श–5 व वस्तु प्रदर्श–6 एवं माल मुकदमाती के द्वितीय बण्डल सम्बन्धित अपराध संख्या 129/17 में से मूल पैंकिग लिफाफा के अन्दर के प्राप्त लिफाफे को वस्तु प्रदर्श–7, दो अन्य लिफाफों को क्रमशः वस्तु प्रदर्श 8 व 9, लिफाफे के अन्दर से निकले कपडे को वस्तु प्रदर्श–10 तथा एक चली बुलेट.315 बोर को वस्तु प्रदर्श–11 तथा एक अन्य प्लास्टिक का थैले को वस्तु प्रदर्श–12 एवं इसके अन्दर से निकली डिब्बी मिट्टी सादा को वस्तु प्रदर्श–13 तथा मिट्टी खून आलूदा को वस्तु प्रदर्श–14 के रुप में प्रस्तुत किया गया है।

8– अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त रमेश ने अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में कथन किया है कि उसकी माँ ने जो रिपोर्ट लिखायी थी वह सही है परन्तु विवेचक ने नामजद अभियुक्तगण से साज कर झूठा फंसाया व धारा 25 आर्म्स एक्ट में झूठा चालान किया एवं अन्य अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में कथन किया है कि वादिनी द्वारा लिखाई गयी प्राथमिकी व रमेश के विरुद्ध दर्ज मुकदमा धारा 25 के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। विवेचक द्वारा गलत तथ्यों पर हत्या के मामले में मेरा नाम बढ़ाया गया। अभियुक्तगण को साक्षी संख्या 01 लगायत साक्षी संख्या 9 के साक्ष्यों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। अभियुक्त रमेश ने साक्षी संख्या 10 की साक्ष्य को गलत विवेचना कर झूठी गवाही देना कहा है, इस साक्षी का साक्ष्य अन्य अभियुक्तगण से सम्बन्धित नहीं है। विवेचक ने गलत विवेचना कर फर्जी प्रपत्र तैयार किये व झूठी गवाही दी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट गलत है। उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा चला। वे सफाई साक्ष्य नहीं देना चाहते। अतिरिक्त कथन में अभियुक्त रमेश ने कहा है कि विवेचक ने नामजद अभियुक्तगण से साज कर उन्हें बचाया जबकि उन्होंने ही मेरे पिता की हत्या की है परन्तु हमें झूठा फंसाया गया। कोई अपराध नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। अतिरिक्त

कथन में अभियुक्तगण सत्यवीर, श्यामवीर, सरपंच व राजकुमार ने कथन किया है कि गाँव की पार्टीबन्दी के कारण उन्हें विरोधी लोगों ने पुलिस से साज करके झूठा फंसाया गया है जबकि उनका रमेश व उसके विरोधी पार्टी के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। वे दूसरी जाति व दूसरे गाँव के हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वे निर्दोष हैं।

9– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।

10. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली से विदित है कि अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन की ओर से कुल 11 साक्षीगण पी०डब्लू 1 लगायत पी०डब्लू 11 प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से पी०डब्लू1 लगायत पी०डब्लू 6 तथ्य के साक्षी है एवं शेष पुलिस के साक्षी हैं। तथ्य के 3 साक्षीगण ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है जिन्हें अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

11– पी०डब्लू1 कमलेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "इस मुकदमे की वादिनी विटोली देवी रिश्ते में मेरी मौसी लगती थी। उपरोक्त घटना को सुनकर मैं भी घटनास्थल पर गया था। वहां पर घटनास्थल पर मेरे मौसा विश्राम सिंह के गोली लगी हुई थी। बांह में गोली लगी हुई थी। गम्भीर अवस्था में वह लोहिया अस्पताल जा चुके थे। मेरी मौसी विटोली घटनास्थल पर थीं। उनके कहने पर मैंने प्रार्थना पत्र लिखा था। प्रार्थना पत्र में जो उन्होंने बोला था, वही मैंने लिखा था। लिखने के बाद मैंने प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया था तथा उस पर विटोली का निशानी अंगूठा लगवाया था तथा लेखक में मैंने अपना नाम, पता अपने हस्तलेख में लिखा था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या ४ए/3 तहरीर मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है यह वही तहरीर है जो मैंने विटोली देवी के बोलने पर लिखी थी। उसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ प्रपत्र पर प्रदर्श क–1 डाला गया। घटना के बाद विटोली देवी की मृत्यु हो गयी, विटोली मेरी चचेरी मौसी लगती थीं।"

यह साक्षी मात्र तहरीर लेखक है एवं इसने स्पष्ट कहा है कि इस मामले के वर्तमान मुल्जिमान के विरूद्ध उसने तहरीर नहीं लिखी थी बल्कि तहरीर उसकी मौसी विटोली देवी के कहने के अनुसार अन्य लोगों के विरूद्ध लिखी थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्वीकार भी किया है कि यह बात सही है कि विटोली देवी ने गोली मारने वालों के नाम रामपाल, शिवपाल, बटेश्वर, जयकरन लिखाये थे एवं यह भी लिखाया था कि इन चारों लोगों ने एक राय हो कर मेरे पति विश्राम सिंह को तमंचे से गोली मार दी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गये। विश्राम सिंह मृतक की चारपाई के पास ही अपनी चारपाई पर विटोली देवी ने लेटना बताया था एवं बिजली की रोशनी में पहिचानना बताया था। इस साक्षी की साक्ष्य से वर्तमान अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी अवधारणा को नहीं बनाया जा सकता।

12– पी.डब्लू. 2 रामकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "घटना दिनांक 27.08.2017 की है। मेरे पिता विश्राम सिंह घर के बाहर माता जी के साथ चारपाइयां डालकर सो रहे थे। मैं घर के अन्दर सो रहा था। मै घटना से लगभग दो– तीन दिन पहले दिल्ली से आया था। मैं दिल्ली मे ही प्राइवेट नौकरी करता हूं। माताजी की बीमारी की सूचना पर मैं दिल्ली से घर आया था। मेरे परिवार से गांव के रामपाल, शिवपाल, बटेशुर, जयकरन की रंजिश चल रही थी। दिनांक 27.08.2017 की रात मेरे पिताजी के गोली मार दी गयी थी। घायल अवस्था में पिताजी को माताजी के साथ मै, मेरा भाई सुभाष, रमेश लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद लेकर आये थे, जहां डाक्टर द्वारा मेरे पिताजी को मृत घोषित कर दिया था। फिर हम लोगों ने अपनी मां बिटोली देवी के साथ थाना अमृतपुर जाकर मुकदमा लिखाया था एवं पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे सामने हुयी थी। पंचायतनामा भरने के बाद पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर करवाये थे। पंचायतनामा पर बने हस्ताक्षर को देखकर गवाह ने पहचान व पुष्टि की। दरोगा जी ने घटनास्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी के सैम्पल लिये थे, जिसकी फर्द मौके पर बनायी थी, उस फर्द पर दरोगा जी ने मेरे हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 8A/1 फर्द पर बने अपने हस्ताक्षर को देखकर गवाह ने पहचान व पुष्टि की। दरोगा जी को घटनास्थल मैने तथा मेरी माता बिटोली देवी ने दिखाया था। FIR मेरी मां ने अभियुक्तगण रामपाल पुत्र लालाराम, शिवपाल पुत्र सोनेलाल, बटेशुर पुत्र श्रीकृष्ण, जयकरन पुत्र रामपाल समस्त निवासीगण– ग्राम चपरा, थाना अमृतपुर, जिला फर्रूखाबाद के विरूद्ध पंजीकृत करायी थी। अभियुक्तगण के नाम मेरी माता जी बिटोली देवी के बतायेनुसार लिखाये गये थे, मैने घटना नहीं देखी थी क्योकि मैं घर के अन्दर सो रहा था। दौरान विवेचना पुलिस ने मेरे बयान लिये थे।"

यह साक्षी मृतक एवं वादिनी का पुत्र है। इस साक्षी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में किन्हीं अन्य व्यक्तियों को संलिप्त किया है एवं यह पंचायतनामा का गवाह है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि फायर की आवाज सुनकर हम सभी भाई अपने घर से बाहर आये थे तो देखा कि मेरे पिता के गोली बाहं में लगी है। पड़ोसी संतराम, पातीराम, कमलेश भी मौके पर आ गये थे, जिनके सामने मेरी मां विटोली देवी ने बताया था कि गांव के ही रामपाल, शिवपाल, बटेश्वर एवं जयकरन गोली मार कर भाग गये हैं। मेरे पिता जी व माता जी घर के बाहर खुले स्थान पर चारपाई पर लेटे थे। मेरी मां ने घटना स्थल दिखाते समय दरोगा जी को यह बताया था कि नामजद अभियुक्तगण किस जगह से आये थे एवं गोली मार कर भाग गये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि इस घटना से पहले मेरे ताउ मुक्ताप्रसाद को जान से मारने की नीयत से गोली मारने के मुकदमें में इस केस के नामजद अभियुक्त रामपाल, शिवपाल, बटेश्वर व जयकरन को सजा हुयी थी एवं यह हाईकोर्ट से जमानत पर हैं। मुक्ता प्रसाद वाले मुकदमें में मेरे भाई रमेश ने पैरवी की थी। घटना से एक दिन पहले मेरे गांव में राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर एवं सरपंच नहीं आये थे एवं न ही मैंने इन लोगों को देखा था, इन लोगों को मैंने रमेश

के साथ कहीं जाते हुए या दावत खाते हुए नहीं देखा था क्योंकि मेरी मां बिटोली देवी बीमार थीं, उनकी तीमारदारी में मैं तथा मेरा भाई व्यस्त थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर एवं सरपंच को मुल्जिमान जयकरन वगैरह ने इसलिए दरोगा जी से मिलकर मुल्जिम बनवा दिया क्योंकि उक्त चारों लोग राजकुमार आदि मेरे भाई रमेश के जान पहचान के थे। यह कहना सही है कि मेरे पिता विश्राम सिंह की हत्या गोली मारकर रामपाल, शिवपाल, बटेश्वर व जयकरन ने पुरानी रंजिश को लेकर की थी। इस प्रकार इस साक्षी की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट है कि इसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के विपरीत तहरीर में नामजद व्यक्तियों द्वारा उसके पिता की हत्या किये जाने का कथन किया है।

13– पी०डब्लू3 फूलचन्द्र ने मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि "घटना का दिन सन व तारीख, महीना मुझे याद नहीं है। घटना को लगभग 7–8 वर्ष हो गये हैं। मेरे गाँव के विश्राम सिंह की हत्या हो गयी थी। हत्या होते मैंने नहीं देखी थी। मुझे सुबह जानकारी हुई थी। घटना से पहले शाम को मैंने विश्राम के लड़के रमेश को नहीं देखा था। घटना की रिपोर्ट किसने लिखाई थी मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है और न ही घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी और न ही बयान लिया था "

इस साक्षी ने अपनी मख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा इसको अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए यह भी कहा है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया, पुलिस ने कैसे लिख लिया वह इसकी वजह नहीं बता सकता। यह भी कहा है कि उसने विश्राम सिंह के कत्ल के बारे में केवल सुना था, वह उनकी लाश देखने भी नहीं गया था, उसे विश्राम के कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

14– पी०डब्लू 4 रावेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि"घटना का दिनांक मुझे ध्यान नहीं है और न ही मुझे यह पता है कि घटना को कितने वर्ष हो गये हैं। घटना में मेरे गाँव के विश्राम सिंह की हत्या हुई थी। उस दिन मैं अपने मक्का के खेत की रखवाली कर रहा था। मुझे सुबह आठ बजे विश्राम सिंह की हत्या की जानकारी हुई थी। जानकारी होने के बाद भी मैं उन्हें देखने घटनास्थल पर नहीं गया था और न ही मुझे पुलिस मिली थी। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही मेरा बयान लिया था। “

इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन की प्रार्थना पर इसको पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना के समय वह मक्का के खेत पर

था.........इसलिए नहीं बता सकता कि उस दिन विश्राम सिंह के घर पर कौन कौन था।" आगे जिरह में इसने यह भी कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि "जब विश्राम सिंह की हत्या हुयी थी तब किन लोगों का नाम लिखाया गया था।......कौन कौन जेल गया था।....... वह गरीब आदमी है इसलिए गांव में किसी से भी मतलब नहीं रखता है।" आगे जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि सत्यवीर, श्यामवीर, सरपंच को वह नहीं जानता है न ही इन लोगों की कोई कार्यवाही शिनाख्त मजिस्ट्रेट के सामने उसकी नहीं करायी गयी तथा न ही पुलिस ने उसे थाने बुलाकर इन लोगों की पहिचान करायी थी। इस कथन से यह साक्षी मुल्जिमानों की संलिप्तता का खण्डन कर रहा है तथा इस साक्ष्य से अभियोजन को बल प्राप्त नहीं होता है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रतिकूल अवधारणा को नहीं बनाया जा सकता।

15– पी०डब्लू–5 सुभाष ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि"घटना दिनांक 27.08.2017 की है। मेरे पिता विश्राम सिंह घऱ के बाहर माता जी के साथ चारपाइयां डालकर सो रहे थे। मैं घर के अन्दर सो रहा था। मै घटना से लगभग दो–तीन दिन पहले दिल्ली से आया था। मेरे साथ मेरा भाई रामकुमार भी आया हुआ था। हम लोग दिल्ली में ही प्राइवेट नौकरी करते हूँ। माताजी की बीमारी की सूचना पर मैं दिल्ली से घर आया था। मेरे परिवार से गांव के रामपाल, शिवपाल, बटेशुर, जयकरन की रंजिश चल रही थी। दिनांक 27.08.2017 की रात मेरे पिताजी के गोली मार दी गयी थी। घायल अवस्था में पिताजी को माताजी के साथ मैं, मेरा भाई सुभाष, रमेश लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद लेकर आये थे, जहां डाक्टर द्वारा मेरे पिताजी को मृत घोषित कर दिया था। फिर हम लोगों ने अपनी मां बिटोली देवी के साथ थाना अमृतपुर जाकर मुकदमा लिखाया था एवं पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे सामने हुयी थी। पंचायतनामा भरने के बाद पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर करवाये थे। पंचायतनामा पर बने हस्ताक्षर को देखकर गवाह ने पहचान व पुष्टि की। दरोगा जी को घटनास्थल मेरी माता बिटोली देवी ने दिखाया था। FIR मेरी मां ने अभियुक्तगण रामपाल पुत्र लालाराम, शिवपाल पुत्र सोनेलाल, बटेशुर पुत्र श्रीकृष्ण, जयकरन पुत्र रामपाल समस्त निवासीगण– ग्राम चपरा, थाना अमृतपुर, जिला फर्रूखाबाद के विरूद्ध पंजीकृत करायी थी। अभियुक्तगण के नाम मेरी माता जी बिटोली देवी के बताये अनुसार लिखाये गये थे, मैने घटना नहीं देखी थी क्योकि मैं घर के अन्दर सो रहा था। दौरान विवेचना पुलिस ने मेरे बयान लिये थे।"

यह साक्षी भी मृतक का पुत्र है जिसने पी०डब्लू2 की ही भांति अन्य व्यक्तियों का नाम घटना कारित करने वालों में लिया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि जिस प्रकार का धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान उसका पुलिस ने लिखा है, वैसा बयान उसने

पुलिस को नहीं दिया था उन्होंने कैसे लिख लिया, नहीं बता सकता। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि मैंने घटना वाली रात व उससे पूर्व दिन में रम्पुरा व नगला खुशहाली के किसी व्यक्ति को अपने गांव चपरा में नहीं देखा था। इस साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी आरोपों को साबित नहीं माना जा सकता।

16– पी०डब्लू–6 उपेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि"घटना का दिनांक मुझे ध्यान नहीं है और न ही मुझे यह पता है कि घटना को कितने वर्ष हो गये हैं। घटना में मेरे गाँव के विश्राम सिंह की गोली मार के हत्या हुई थी। उस दिन मैं अपने खेत में बने मकान में था। मुझे सुबह जब गांव के लोग शौच के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे तभी समय करीब 7–8 बजे विश्राम सिंह की हत्या की जानकारी हुई थी। जानकारी होने के बाद मैं अपने खेत वाले मकान से उन्हें देखने घटनास्थल पर गया था मुझे पुलिस नहीं मिली थी मैं थोड़ा रुककर चला आया था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही मेरा बयान लिया था।"

इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन के विपरीत बयान दिया है इसलिए अभियोजन की प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि यह कहना गलत है कि घटना से एक दिन पहले शाम को शौच करके वापस आते समय 10–10.15 बजे रात्रि में रमेश अपने साथ सरपंच, श्यामवीर व राजकुमार व एक अन्य व्यक्ति के साथ तेजी से कस्बा राजपुर की तरफ से गांव की ओर जा रहे हों जब मैंने टार्च की रोशनी जलाई तो यह लोग सकपकाते हुए चले गये हो इसके थोड़ी देर बाद मुझे जानकारी हुयी हो कि विश्राम सिंह की किसी ने गोली मार कर हत्या की हो। आगे इस साक्षी ने यह भी कहा है कि अभियुक्तगण सरपंच आदि कहां के रहने वाले हैं मुझे नहीं मालूम तथा घटना से पहले इनको गांव में नहीं देखा था। इस साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्तगण की संलिप्तता विश्राम सिंह के कत्ल में परिलक्षित नहीं होती है।

17– पी०डब्लू–7 शिशुपाल सिंह सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक, ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि "दिनांक 28.08.2017 को थाना अमृतपुर में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था उसी दिन श्रीमती बिटोली देवी पत्नी विश्राम सिंह निवासिनी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद मय हमराही अपने पुत्र सुभाष, रामकुमार, रमेश पुत्रगण विश्राम सिंह व कमलेश पुत्र रामनरेश निवासी पिथनापुर थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद के साथ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित जिस पर खुद के हस्ताक्षर जिसमें वादिनी के पति विश्राम सिंह की दरवाजे पर सोते समय अभियुक्तगण द्वारा पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर भाग जाने तथा पति को इलाज हेतु लोहिया अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 129/17 धारा 302/34 भा.दं.स. बनाम रामपाल पुत्र लालाराम, शिवपाल

पुत्र सोनेलाल, बटेश्वर पुत्र श्रीकृष्ण व जयकरन पुत्र रामपाल समस्त निवासीगण ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद मेरे द्वारा पंजीकृत किया गया तथा तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द बोल–बोलकर मेरे द्वारा सी.सी.टी.एन. एस. पर किता करायी। अभियोग की विवेचना एस.ओ. नरेन्द्र प्रताप गौतम के सुपुर्द की गयी व वास्ते विवेचना एफ.आई.आर. की प्रति व कायमी रपट विवेचक को दी गयी तथा आगुन्तका को एक प्रति देकर थाना हाजा से मय हमराही रुख्सत किया गया। घटना की सूचना जरिए आर.टी. सेट उच्चाधिकारियों को दी गयी थी। उपरोक्त मुकदमे का कायमी जी.डी. रपट नं02 समय 00.50 AM पर मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल–बोल कर किता करायी गयी थी। पत्रावली में कागज संख्या 4ए/1 लगायत 4ए/2 चिक एफ.आई.आर. कम्प्यूटरीकृत है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है तथा कागज संख्या 6ए/1 कायमी जी.डी. की कम्प्यूटरीकृत प्रति है जो मूल के समान है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। थाना अमृतपुर में मेरी तैनाती के दौरान दिनांक 31.08.2017 को एस.ओ. नरेन्द्र प्रताप गौतम मय हमराही एस.आई. हरिओम शर्मा व कानस्टेबल सतेन्द्र सिंह व मोहम्मद सोहेल के साथ मय सरकारी जीप के चालक सुरेश सिंह के साथ अभियुक्त रमेश पुत्र विश्राम सिंह निवासी चपरा थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद के एक किता फर्द बरामदगी व एक अदद तमंचा देशी 315 बोर जिसमें एक खोखा फंसा हुआ था आला कत्ल सर्व मोहर मय नमूना मोहर के सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 129/17 धारा 302 भा.दं.सं. में अभियुक्त गिरफ्तार शुदा थाना उपस्थित आकर जेरे निगरानी खुद व हमराहीयान के अभियुक्त की रुबरू जामा तलाशी समस्त सन्तरी पहरा के मजीद लिवाई गयी तो पहने कपडों के अलावा कोई अन्य सह बरामद नहीं हुई। दाखिला फर्द के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 141/17 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम रमेश पंजीकृत कर चिक एफ.आई.आर. मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर शब्द ब शब्द बोल–बोलकर अंकित करायी गयी। अभियोग की विवेचना एच.सी.पी. दलवीर सिंह के सुपुर्द कर वास्ते विवेचना एफ.आई.आर. की प्रति व नकल रपट दी गयी। सूचना जरिए आर.टी.सेट उच्चाधिकारियों को दी गयी। एफ.आई.आर. की एक प्रति उचित माध्यम से अभियुक्त के घर भिजवायी गयी। उपरोक्त मुकदमें की कायमी रपट उसी दिन जी.डी. रपट नं० 19 कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा बोल–बोलकर समय 17.05 पर मेरे द्वारा किता करायी गयी। सत्र परीक्षण संख्या 73/18 की पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4ए/1 लगायत 4ए/2 चिक एफ.आई.आर. है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूं इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया है तथा कागज संख्या 6ए कायमी जी.डी. की कम्प्यूटरीकृत जी.डी. है जो मूल के समान है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है। दौरान विवेचना विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी। "

इस साक्षी ने इस मामले में वादिनी विटोली देवी की तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की थी एवं उसका इन्द्राज जी०डी० पर किया था। साथ ही अभियुक्त रमेश के विरूद्ध धारा 25/27 आर्म्स एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी०डी० इन्द्राज भी किता किया

था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि इस मुकदमें में रमेश जो मुल्जिम बनाया गया है वह अपनी मां के साथ तहरीर लिखाने हमराही के रूप में आया था। यह भी कहा है कि यह बात सही है कि मेरे व कम्प्यूटर आपरेटर के हस्ताक्षर प्रदर्श क–2 एवं प्रदर्श क–4 में नहीं हैं। जिरह में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि मुकदमा अप० सं० 129/17 धारा 302 भा०दं०सं० में राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर, सरपंच व रमेश नामजद अभियुक्त नहीं थे बल्कि नामजद अभियुक्त रामपाल, शिवपाल, बटेश्वर व जयकरन नामजद अभियुक्त थे।

18– पी०डब्लू–8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हरिओम शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि"मैं दिनांक 28.08.2017 को थाना अमृतपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था, उसी दिन थाना हाजा पर मृतक विश्राम सिंह पुत्र सेवाराम निवासी चपरा थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु थाना से पंचायतनामा व अन्य दीगर प्रपत्र प्राप्त कर मय हमराहीयान कानिस्टेविल 651 नरेन्द्र सिंह व एच०जी० 1162 देवादास के साथ डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद पहुंचा था। अस्पताल में शव मोर्चरी में रखा था। मौके पर उपस्थित लोगों में से पंचान नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही समय प्रातः 09.30 बजे शुरु की, जोकि उसी दिन 11.30 ए०एम० पर संपन्न हुई। दशा शव–मृतक का शव मोर्चरी में धरती पर चित्त अवस्था में रखा है तथा एक हाथ सीने पर, एक हाथ बाजू में, आंखे आधी खुली, सिर पूर्व व पैर पश्चिम दिशा में है, मुंह खुला हुआ है। हुलिया–गोरा रंग, औसत नाक–कान, एकहरी कद कांठी जिसकी उम्र करीब 75 वर्ष थी। चोटें–बाएं हाथ की बाजू में गोली लगने से बना घाव मौजूद था। राय पंचान–पंचो की राय में मृतक विश्राम सिंह की मृत्यु बाएं हाथ की बाजू में गोली लगने से आई चोट के कारण होना प्रतीत होता है।फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम करा लिया जाए। मेरी राय भी पंचो की राय से मेल खाती थी। मौके पर शव को सील बन्द कर सर्व मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए कानिस्टेविल 651 नरेन्द्र सिंह व एच०जी० 1162 देवादास को सुपुर्द कर शव विच्छेदन गृह फतेहगढ भेजा था। पत्रावली में शामिल का०सं० 13ए/2 लगायत 13ए/3 पंचायतनामा, का०स० 13ए/8 चिट्ठी सी०एम०ओ०, का०सं० 13ए/9 फोटो लाश, का०स० 13ए/10 पुलिस फार्म मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिनकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूं। जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9 डाला गया। "

यह साक्षी इस घटना का पंचायतनामा किता करने वाले पुलिसकर्मी हैं। जिसकी साक्ष्य से अभियुक्तगण के प्रतिकूल कोई तथ्य परलक्षित नहीं होता है।

19– पी०डब्लू–9 डा० दीपेन्द्र अवस्थी ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि "दिनांक 28.08.2017 को मेरी तैनाती शव विच्छेदन गृह फतेहगढ में थी। उस समय में मेरी मूल तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फैजबाग पर थी। उसी दिन एक सील सर्व मोहरशुदा शव मेरे मय दस दीगर प्रपत्रों के साथ थाना अमृतपुर से कान्सटेबल

समय 2.45 पी.एम लेकर आये थे। मेरे द्वारा मृतक विश्राम सिंह पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम छपरा थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद का पोस्टमार्टम किया गया था शव की पहचान शव को लाने वाले नरेन्द्र सिंह सी.पी. 651 एवं देवादास एच.जी. 1162 द्वारा की गयी। मृतक के शरीर पर एक बन्डी, एक धोती एवं एक गमछा मौजूद था। मृतक का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा समय 4.00 बजे पी.एम. में दिनांक 28.08.2017 को प्रारम्भ किया गया था तथा समय 4.45 पी.एम.पर समाप्त किया गया था। मृतक का बाह्य परीक्षण–मृतक का शरीर दुबली कद काठी का था। मुँह और आंख आधे खुले हुए थे। पी.एम. स्टेनिंग पिछले हिस्से पर मौजूद थी। सूखे हुए खून के थक्के वांयी भुजा पर मौजूद थे और शरीर में कई जगह पर थे। शरीर की अकड़न ऊपरी भाग से आंशिक रुप से पास हो चुकी थी और निचले हिस्से पर मौजूद थी। आन्तरिक परीक्षण– सिर, ग्रीवा व छाती तथा ह्रदय, उदर भाग सामान्य थे। पेट में लगभग 80 ग्राम पेस्टी मैटर मौजूद था। यूरनेरी ब्लेडर में लगभग 30 मि.ली. यूरिन मौजूद थी। मृत्यु पूर्व चोटें– अग्नेयास्त्र की प्रवेश करने का धाव जिसका आकार 6x4 सें.मी. आरपार वांयी भुजा के सामने और मीडियल साइड कोहनी की तरफ। मार्जिन अन्दर की तरफ मुडे हुए थे। लेसेरेटेड इकाईमोज्ड थे। ब्लैकनिंग और टैटोइंग घाव के चारो तरफ मौजूद थी और निकलने वाले घाव से मिल रही थी। निकलने का घाव 12x5 सें.मी. जो कि वांये भुजा के पीछे जिसके किनारे बाहर की ओर मुडे हुए थे। काटने पर मसल्स और वेसेल्स लेसेरेटेड थे जिसकी दिशा आगे से पीछे की ओर थी। राय– मेरी राय में मृतक की मृत्यु का कारण अग्नेयास्त्र से आयी हुई चोट से होने वाले अत्यधिक रक्त स्त्राव व सदमें के कारण हुई थी। मृतक की मृत्यु लगभग 3/4 दिन पुरानी हुई थी। शव को शव विच्छेदन करने के उपरान्त शव से प्राप्त कपडों को सील सर्व मोहर कर मय दीगर प्रपत्रों के व शव के एक्स–रे प्लेट के साथ शव लाने वाले कर्मचारियों के सुपुर्द किया था। शव विच्छेदन आख्या मैंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी जो पत्रावली में कागज संख्या 11 ए जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ इस पर प्रदर्श क–10 डाला गया है। "

यह चिकित्सक साक्षी हैं जिन्होंने मृतक विश्राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया है एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–10 को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया है। मृतक को बांयी भुजा पर आरपार बुलेट का घाव था इस संबंध में इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि चूंकि मृतक अधिक दुबला पतला व उम्रदराज व्यक्ति था इसलिए उसकी मौत अधिक रक्तस्राव के कारण हुयी थी।

20– पी०डब्लू–10 उपनिरीक्षक दलवीर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि "दिनांक 31.08.2017 को थाना अमृतपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था।

उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या 141/17 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम रमेश की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। थाना कार्यालय से नकल चिक नकल रपट प्राप्त कर अवलोकन कर नकल अंकित की तथा थाना कार्यालय में मौजूद एफ.आई.आर. लेखक हेड मोहर्रिर शिशुपाल सिंह से पूछताछ कर बयान अंकित किये तथा थाना परिसर के मर्दाना हवालात में मौजूद रमेश पुत्र विश्राम सिंह निवासी चपरा थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद को हवालात के गेट पर बुलाकर पूछताछ कर बयान अंकित किये, समस्त कार्यवाही उस दिन सी.डी. पर्चा 1 में अंकित की। दिनांक 01.09.2017 को सी.डी. पर्चा 2 किता किया जिसमें मुकदमा वादी एस.ओ. नरेन्द्र प्रताप गौतम से पूछताछ कर बयान अंकित किये तथा वादी मुकदमा के साथ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी मौके पर ही वादी की निशानदेही पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जो पत्रावली सत्र परीक्षण 73/18 में कागज संख्या 7 ए है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया है। घटनास्थल पर काफी लोग मौजूद हैं जिनमें साक्षी गोविन्द सिंह व मन्जीत के बयान अंकित किये। दिनांक 02.09.2017 को सीडी. पर्चा 3 किता किया जिसमें थाना कार्यालय में मौजूद उपनिरीक्षक हरिओम शर्मा के बयान अंकित किये तथा कान० सतेन्द्र सिंह के बयान अंकित किये। दिनांक 05.09.2017 को सी.डी. पर्चा 4 किता किया जिसमें थाना कार्यालय में मौजूद कान० मोहम्मद सोहेब के बयान अंकित किये। सी.डी. पर्चा 5 दिनांकित 28.09.2017 अभियुक्त की रिमाण्ड सम्बन्धी है। दिनांक 11.10.2017 को सी.डी. पर्चा 6 किता किया जिसमें थाना कार्यालय से माननीय जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई जिसकी नकल अंकित कर संलग्न सी.डी. किया जो पत्रावली 73/18 में 8 ए है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ इस पर प्रदर्श क–12 डाला गया है। दौरान विवेचना बयान वादी बयान गवाह निरीक्षण घटनास्थल, बयान समई साक्षी, अभियोजन स्वीकृति व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्त रमेशचन्द्र पुत्र विश्राम सिंह के विरुद्ध जुर्म धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बखूबी साबित होने पर चालान जरिए आरोप पत्र संख्या 81/17 दिनांक 11.10.2017 को माननीय न्यायालय किया गया था। आरोप पत्र मैंने कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर टाइप कराया था जिस पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे जो पत्रावली में कागज संख्या 3 ए/1 लगायत 3 ए/2 है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ इस पर प्रदर्श क–13 डाला गया है।"

यह साक्षी इस मामले में धारा 25 आर्म्स एक्ट के विवेचक हैं। प्रतिपरीक्षा में विवेचक पी०डब्लू10 ने कहा है कि यह बात सही है कि नक्शा नजरी में नक्शा नजरी बनाने की कोई तारीख अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने मौके पर जाकर नक्शा नजरी

तैयार न किया हो बल्कि थाने पर बैठकर एस०ओ० साहब के बताये अनुसार तैयार किया हो इसीलिए तारीख नहीं पड़ी है। आगे जिरह में विवेचक ने यह भी कहा है कि तमंचा कारतूस सिटी मजिस्ट्रेट के सामने खोला गया था एवं उन्हीं के सामने सील किया गया था। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–12 में जिला मजिट्रेट के हस्ताक्षर बताये गये हैं एवं उक्त अभियोजन स्वीकृति में अंकित है कि तमंचा कारतूस मय नमूना सील लाये गये जिसे खोल कर देखा गया एवं सीलोपरांत उन्हीं को वापस किया गया।

21– पी०डब्लू–11 निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप गौतम ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि "दिनांक 28.08.2017 को थाना अमृतपुर में मैं थाना प्रभारी के पद पर तैनात था। उसी दिन मु०अ०स० 129/2017 धारा 302/34 आई०पी०सी० बनाम रामपाल आदि पंजीकृत होकर विवेचना ग्रहण की थी। उसी दिन सी०डी०पर्चा नं० 1 में थाना कार्यालय से नकल चिक नकल रपट प्राप्त कर अवलोकन कर नकल अंकित कर संलग्न सी०डी०की। तत्पश्चात थाना हाजा से रवाना होकर घटनास्थल ग्राम चपरा जाकर वादिनी मुकदमा के दरवाजे पर मौजूद लोगों से जानकारी की गयी तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि वादिनी मुकदमा श्रीमती विटोली अपने घायल पति को लेकर कुछ लोगों की मदद से लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद गईं है। उनके तीन लड़के हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम रमेश, उससे छोटा सुभाष और सबसे छोटा रामकुमार उर्फ नन्हें है। यह बताया गया कि मुकदमे में नामित अभियुक्तगण व वादिनी मुकदमा से पुरानी रंजिश चली आ रही है। तत्पश्चात मय हमराह फोर्स के उक्त मुकदमे में नामित अभियुक्तगण अपने घर में सोते हुए पाए गए जिनको वास्ते पूछताछ हेतु कानि०मो०सोहेल की निगरानी में थाना ले जाया गया। इसके पश्चात मय हमराह फोर्स के ग्राम चपरा से रवाना होकर लोहिया अस्पताल पहुंचा वहां इमरजेंसी कक्ष के बाहर वादिनी मुकदमा व गांव के कुछ लोग मौजूद थे, पीड़िता जोर जोर से पति की मृत्यु होने के गम में विलाप कर रही थी। मृतक का शव लोहिया अस्पताल मोर्चरी हाउस में डाक्टरों द्वारा पूर्व में ही रखवा दिया गया था। वादिनी मुकदमा को समझा बुझाकर पूछताछ कर बयान अंकित किये। वादिनी मुकदमा का पुत्र रमेश लोहिया अस्पताल में मौजूद था जिससे पूछताछ कर बयान अंकित किए तथा वादिनी मुकदमा के पुत्र सुभाष व रामकुमार उर्फ नन्हें के बयान अंकित किए। इसी दौरान थाने से उ०नि० हरिओम शर्मा व कानि०नरेन्द्र सिंह व होमगार्ड देवादास के साथ लोहिया अस्पताल उपस्थित आए जिनको मृतक विश्राम सिंह की पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात वादिनी मुकदमा व उसके पुत्र रामकुमार उर्फ नन्हें को साथ लेकर घटनास्थल ग्राम चपरा पहुंचा तब वादिनी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी मौके पर ही अपने

हस्तलेख व हस्ताक्षर में ही तैयार किया था जो पत्रावली में का०स० 7ए/8 है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। मृतक की चारपाई के नीचे से जमीन पर पड़े हुए खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी अलग–अलग डिब्बों में लेकर कपड़ो में रखकर सिलकर सील सर्व मोहर कर फर्द मौके पर ही मैंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी जो पत्रावली में का०स० 8ए/8 है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। फर्द की नकल सी०डी०में अंकित कर संलग्न सी०डी० किया। तत्पश्चात गांव में घूमकर घटना के संबंध में जानकारी कर स्वतंत्र साक्षी परशुराम पुत्र ज्ञान सिंह, फूलचन्द्र पुत्र रामसहाय, रामभजन पुत्र रामसहाय, रावेन्द्र पुत्र बालकिशन के बयान अंकित किए तथा गांव से वापस थाना आया, थाने पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त शिवपाल पुत्र सोनेलाल, रामपाल पुत्र लालाराम, जयकरन पुत्र रामपाल, बटेश्वर पुत्र श्रीकृष्ण के बयान अंकित किए। पूछताछ के दौरान नामित अभियुक्तगण को हिदायत देकर परिजनों के सुपुर्द कर थाने से रुकसत किया। थाने पर रखे अभिलेखों का अवलोकन किया गया तो मृतक के पुत्र रमेश व राकेश पुत्र मुक्ताप्रसाद, हरिराम पुत्र रघुवर के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं० 377/2004 धारा 302 आई०पी०सी० दिनांक 21.07.2004 को पंजीकृत हुआ था जिसमें उपरोक्त सभी के विरुद्ध आरोपपत्र दिनांक 11.08.2004 को प्रेषित किया गया। उपरोक्त मुकदमें में दिनांक 20.08.2009 को उपरोक्त सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायायल द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिसका पर्चा फैसला अपराध रजिस्टर में चस्पा था तथा मुकदमा अपराध सं० 38/96 धारा 307 आई०पी०सी० दिनांक 28.02.1996 को अभियुक्त देशराज, श्रीकृष्ण, सोनेलाल, शिवपाल के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसमें आरोपपत्र दिनांक 19.03.1998 को प्रेषित किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2003 को पांच वर्ष की कारावास उपरोक्त सभी अभियुक्तगण को सजा सुनाई गई। तत्पश्चात मृतक विश्राम सिंह के पुत्र रमेश के मोबाइल नंबर 7887294286 की कॉल डिटेल व लोकेशन प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी। उसी दिन सी०डी०–1A में थाना हाजा से रवाना होकर ग्राम चपरा जाकर घटनास्थल के पास बारीकी से निरीक्षण किया गया तो चारपाई के नीचे मिट्टी में एक छेद सा दिखाई दिया जिसे बारीकी से देखा गया तो उसमें मिट्टी में ही एक बुलट बरामद हुआ जिसे समक्ष गवाहन एक कपडे में रखकर सिलकर नमूना मोहर बनाकर फर्द मौके पर ही अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर मैंने अपने हस्ताक्षर किए थे जो पत्रावली में का०स० 8ए/2

है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया। फर्द की नकल अंकित कर संलग्न सी०डी० किया। तत्पश्चात घूमफिर कर स्वतंत्र गवाह उपेन्द्र सिह के बयान अंकित किए। सी०डी०–2 दिनांक 29.08.2017 को किता की। जिसमें थाना कार्यालय से मृतक के पुत्र रमेश के मोबाइल नंबर की काल डिटेल व टावर लोकेशन दिनांक 01.08.2017 से 27.08.2017 तक 23.23.01 बजे की प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया गया तो दिनांक 01.08.2017 से दिनांक 20.08.2017 तक दिल्ली झिलमिल कालोनी में पायी गयी तथा दिनांक 21 व 22 की लोकेशन भी दिल्ली में पायी गयी। दिनांक 23.08.2017 को समय 14.00.06 बजे अमृतपुर फर्रुखाबाद की पायी गयी तथा दिनांक 23,24,25,26,27.08.2017 को रात समय 23.16 की लोकेशन कुम्हरौर की पायी गयी तथा घटना के समय 21.49.01 बजे 22.34.01 बजे पर लोकेशन नित्तूकूंचा ठण्डी सडक की होना पायी गयी। बी०टी०एस० लोकेशन से रमेश की मौजूदगी घटनास्थल गांव चपरा में घटना के समय होना पायी गयी। तत्पश्चात रवाना होकर ग्राम चपरा जाकर वादिनी मुकदमा से उसके लड़के रमेश के संबंध मे जानकारी की गयी तो उसने बताया कि मेरा बडा लड़का रमेश किसी काम से बाहर गया है। सी०डी०आर० का बारीकी से अध्ययन किया गया तो मो०नं० 9793345983 से घटना वाले दिन व घटना के समय कई बार वार्ता होना पाया गया जो संदिग्ध होने पर सी०डी०आर० प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट दी गयी। तत्पश्चात थाना वापस आकर थाना कार्यालय से मृतक विश्राम सिंह की पी०एम०रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्राप्त हुई जिसमें मृतक के बाए हाथ में बाजू के पास चोट खून आलूदा घाव अंकित है। मृतक का पी०एम० डाक्टर दीपेन्द्र अवस्थी द्वारा किया गया। सी०डी०–3 दिनांक 30.08.2017 को किता की। जिसमें मोबाइल नंबर 979334583 की काल डिटेल प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने पर घटना वाले दिन व समय मृतक के पुत्र रमेश के साथ उपरोक्त मोबाइल धारक साथ साथ होने की लोकेशन प्राप्त हुई। उससे स्पष्ट हो रहा था कि दोनों व्यक्ति घटनास्थल पर अपने अपने साथियों के साथ मौजूद थे। मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण रामपाल, शिवपाल, बटेश्वर, जयकरन हस्वबुल तलब थाने पर बुलाया गया और पूछताछ की गयी तो सभी ने एक स्वर में बताया कि पूरे गांव में लोग दबी जुबान से कह रहे हैं मृतक का लडका रमेश अपने साथियों के साथ अपने पिता को गोली मारकर 307 का मुकदमा बनाकर हम लोगों को जेल भेजना चाहता था परन्तु उसके पिता की गोली लगने से मृत्यु हो गयी। हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है। तत्पश्चात थाना हाजा से रवाना होकर वादिनी मुकदमा के

पुत्र रमेश से पूछताछ करने हेतु वादिनी मुकदमा के घर पहुंचा, जानकारी करने पर बताया कि रमेश किसी कार्य से बाहर गया हुआ है। सी०डी० पर्चा 04 दिनांक 31.08.2017 को किता किया। जिसमें थाना हाजा से रवाना होकर वादिनी मुकदमा के घर जाकर दरवाजे पर मौजूद वादिनी के पुत्र रमेश से मजीद पूछताछ कर बयान अंकित किए तो उसने अपने पूर्व दिए गए बयानों का समर्थन किया। प्रश्नोत्तर कर उससे पूछताछ की गयी तो उसने पहले अपने पूर्व में दिए गए बयानों का समर्थन किया और बताया कि मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बताना है, परन्तु उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे मोबाइल नंबर की काल डिटेल व टावर लोकेशन में आए विरोधाभाष के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मेरे ताऊ को देशराज पुत्र श्रीकृष्ण व सोनेलाल व शिवपाल ने मिलकर वर्ष 1996 में गोली मार दी थी जिसमें इन लोगों को पांच साल की सजा हुई थी। इसके बाद भी ये लोग हम लोगों को बराबर परेशान करते थे और इसी वजह से मैंने व मेरे ताऊ के लडके राकेश व मेरे रिश्तेदार हरीराम ने मिलकर देशराज पुत्र श्रीकृष्ण को वर्ष 2004 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हम लोग इस मुकदमे में काफी दिनों तक जेल में रहे व हम लोगों को आजीवन कारावास की सजा पड़ने पर मेरे पिता जी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर जमानत पर छुड़वाया था। जमानत के बाद जब मैं वापस घर आया तब ही ये लोग किसी न किसी बात को लेकर झगडा फसाद करने को आमादा रहते थे। शिवपाल, रामपाल, जयकरन, बटेश्वर ने मुझे मारने के लिए गड़ा(घेराबन्दी) भी लगाया था। इसी बात से मैं तंग आकर दिनांक 27.08.2017 को अपने दोस्त रामकुमार पुत्र मुलायम निवासी रम्पुरा थाना अमृतपुर के साथ बैठकर योजना बनाई थी कि यदि मैं अपने पिता विश्राम के हाथ मे गोली मार दूं और बाद में रामकुमार, लालाराम, शिवपाल आदि लोगों के खिलाफ धारा 307 आई.पी.सी. का मुकदमा लिखवाकर जेल भेज दूं तो ये लोग हमेशा के लिए ठण्डे हो जाएंगे। इसी योजना के तहत मैं व राजकुमार गूजरपुर आए, राजकुमार के पास तमंचा व कारतूस था। गूजरपुर में राजकुमार ने अपने दोस्त सत्यवीर यादव पुत्र वेदराम, श्यामवीर यादव पुत्र वृन्दावन सिंह यादव व सरपंच यादव पुत्र जोगराज यादव निवासीगण खुशहाली नगला थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद को गूजरपुर बुलाया और हम लोगों द्वारा बनाई गई योजना को सभी को बताया। इसके बाद हम लोग रात के करीब 8 बजे पैदल–पैदल चलकर अपने गांव के नजदीक पहुंचे तो मैंने सत्यवीर से तमंचा व कारतूस ले लिया और अपने पिता के पास जाकर पिता के बाएं हाथ में तमंचे से गोली मार दी और सभी लोग मौके से पैदल पैदल भाग गए तथा यह भी

बताया कि मैंने जिस तमंचे से अपने पिता को गोली मारी थी उसे रास्ते में खाकिन तिराहे के पास झाड़–झन्काड़ में छिपा दिया था जिसे मैं अपनी निशानदेही पर चलकर बरामद करा सकता हूं। अभियुक्त रमेश को समय करीब 14.45 बजे धारा 302, 303, 147, 148, 149, 120 बी, 34 आई.पी.सी. का जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया था। अभियुक्त रमेश की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर व खोखा कारतूस बरामद हुआ था जिसे मौके पर ही एक कपड़े रखकर सिलकर सील सर्व मोहर कर फर्द मौके पर ही अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में ही तैयार की थी जो एस०टी०नं० 73/18 की पत्रावली में का०स० 4ए/3 है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–17 डाला गया। अभियुक्त रमेश की गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त की माता को दी गयी तथा अभियुक्त को जुर्म धारा 25/27 आर्म्स एक्ट से अवगत कराया गया। बरामदशुदा आला कत्त को थाना लाकर दाखिल किया तथा अभियुक्त से मोबाइल नंबर 9793345983 के संबंध मे जानकारी की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह नंबर मेरे साथी राजकुमार पुत्र मुलायम निवासी रम्पुरा का है। दौरान विवेचना स्वतंत्र गवाह व अभियुक्त रमेश के मोबाइल नंबर 7887294286 की काल डिटेल व टावर लोकेशन आदि से मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण रामपाल, शिवपाल, बटेश्वर, श्रीकृष्ण की नामजदगी गलत पायी गयी तथा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त रमेश व राजकुमार, सत्यवीर यादव, श्यामवीर यादव, सरपंच यादव निवासीगण नगला खुशहाली थाना अमृतपुर का नाम प्रकाश में आया जिससे मुकदमा उपरोक्त धारा 147, 148, 149, 120 बी, 303 आई.पी.सी. का होना पाया गया इसलिए अग्रिम विवेचना प्रकाश में आए अभियुक्तगण रमेश, राजकुमार, सत्यवीर यादव, श्यामवीर यादव, सरपंच यादव के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 120 बी, 302, 303, 34 आई.पी.सी.में प्रचलित की गयी। सी०डी०पर्चा नं० 5 दिनांक 04.09.2017 को किता किया गया जिसमें मय हमराही थाना से रवाना होकर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आए अभियुक्तगणों में से शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उनके घरों पर बारी बारी से दबिश दी गयी, दस्तयाव नहीं हुए। तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि अभियुक्त राजकुमार गूजरपुर में सड़क के किनारे खड़ा हुआ है जिसे मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया गया, नाम–पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी जिसकी पैंट की बायी फेट से एक तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए जो फर्द मुताबिक है जिन्हें कपड़े में रखकर सिलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाकर फर्द को मौके पर ही अपने

हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। अभियुक्त राजकुमार को बरामद तमंचे के साथ लाकर थाना में दाखिल किया गया तथा अभियुक्त मर्दाना हवालात मे मौजूद गेट पर बुलाकर अभियुक्त राजकुमार के बयान अंकित किए जिसने घटना का पूर्ण समर्थन किया और जुर्म का इकबाल किया। सी०डी०पर्चा नं० 06 दिनांक 08.09.2017 को किता किया जिसमें थाना कार्यालय से मुकदमा उपरोक्त से संबधित मृतक विश्राम सिंह की पी०एम० रिपोर्ट व पंचायतनामा व अन्य दीगर कागजात मिले जिनका अवलोकन कर नकल अंकित कर संलग्न सी०डी० किया। सी०डी०पर्चा नं० 07 दिनांक 15.09.2017 को किता किया जो अभियुक्त के रिमांड संबंधी है। सी०डी०पर्चा नं० 08 दिनांक 21.09.2017 को किता किया जिसमें थाना हाजा से रवाना होकर ग्राम खाकिन तिराहा पर आकर अभियुक्त रमेश द्वारा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस, जिसे अभियुक्त ने अपनी निशांदेही पर बरामद कराया था। बरामदगी स्थान का निरीक्षण कर नक्शा नजरी मौके पर ही मैंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर मे तैयार किया था जो पत्रावली में का०स० 7ए/2 है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–18 डाला गया। सी०डी०पर्चा नं० 09 दिनांक 28.09.2017 को किता किया जो अभियुक्त के रिमांड संबंधी है। सी०डी०पर्चा नं० 10 दिनांक 06.10.2017 को किता किया जिसमें थाना हाजा पर मौजूद पी०एम० कराने वाले पुलिस कर्मी कानि०नरेन्द्र के बयान अंकित किए तत्पश्चात मय फोर्स के रवाना होकर मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु घर पर दबिश दी गयी दस्तयाव नहीं हुए। सी०डी०पर्चा नं० 11 दिनांक 10.10.2017 को किता किया जिसमें थाना हाजा से रवाना होकर न्यायालय सी०जे०एम० जाकर वांछित अभियुक्तगण के विरुद्ध एन०बी०डब्लू० जारी करने का निवेदन किया। सी०डी०पर्चा नं० 12 दिनांक 13.10.2017 को किता किया जिसमें थाना हाजा से रवाना होकर न्यायालय सी०जे०एम० फतेहगढ़ जाकर वांछित अभियुक्तगण के एन०बी०डब्लू०प्राप्त किए। सी०डी०पर्चा नं० 13 दिनांक 23.10.2017 को किता किया जो वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी संबंधी है। सी०डी०पर्चा नं० 14 दिनांक 01.11.2017 को किता किया जिसमें थाना हाजा से रवाना होकर चैंकिंग करते हुए कस्बा राजेपुर की तरफ से कस्बा अमृतपुर आया जो जरिए मुखबिर सूचना मिली की उक्त मामले में वांछित अभियुक्त सत्यवीर यादव, श्यामवीर यादव व सरपंच यादव गूजरपुर बार्डर पुलिया पर कहीं जाने की फिराक में खडे है इसी सूचना पर उक्त तीनों अभियुक्तों को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया गया, पूछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम श्यामवीर सिह तथा दूसरे ने

सत्यवीर सिंह यादव और तीसरे ने सरपंच सिंह यादव निवासी नगला खुशहाली बताया जिन्हें कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया जिन्हें थाना लाकर दाखिल किया गया। थाना हवालात में मौजूद अभियुक्त सत्यवीर, श्यामवीर व सरपंच के बयान अंकित किए। सी०डी०पर्चा नं० 15 दिनांक 03.11.2017 को किता किया जिसमें थाना कार्यालय से अभियुक्त सत्यवीर सिहं यादव के मोबाइल नंबर 9519813038 की काल डिटेल प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने पर अभियुक्त राजकुमार के मोबाइल नंबर 9793345983 से अभियुक्त सत्यवीर सिंह के मोबाइल नंबर पर कुल 11 बार अलग अलग समय पर वार्ता की गयी जिससे अभियुक्त सत्यवीर अपने सहअभियुक्तों के साथ घटना कारित करने के समय घटनास्थल पर मौजूद था। तत्पश्चात थाना कार्यालय से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित घटनास्थल से मिट्टी सादा व मिट्टी खून आलूदा व बुलट व अभियुक्त रमेश की निशांदेही पर बरामद एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोग शाला की रिपोर्ट दाखिल करने की रिसीविंग प्रति प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया तत्पश्चात थाना हाजा से रवाना होकर ग्राम चपरा जाकर पंचायतनामा के गवाह प्रेमचंद पुत्र नन्हेंलाल व सूबेदार पुत्र मुक्ताप्रसाद के बयान अंकित किए। सी०डी०पर्चा नं० 16 दिनांक 12.11.2017 को किता किया जिसमें थाना हाजा से रवाना होकर फतेहगढ जाकर पुलिस कार्यालय में मौजूद उ०नि०हरिओम शर्मा (पंचायतनामा भरने वाले) के बयान अंकित किए। तत्पश्चात पुलिस कार्यालय से रवाना होकर पी०एच०सी० फैजबाग जाकर पी०एम० करने वाले डाक्टर दीपेन्द्र अवस्थी के बयान अंकित किये। तत्पश्चात रवाना होकर ग्राम चपरा जाकर पंचायतनामा के गवाह मृतक के पुत्र सुभाष, रामकुमार के बयान अंकित किए। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त रामपाल, शिवपाल, बटेश्वर, जयकरन की नामजदगी गलत पायी गयी तथा स्वतंत्र साक्षियों के बयानों से व मोबाइल के लोकेशन व काल डिटेल के आधार पर अभियुक्त रमेश, राजकुमार, सत्यवीर सिंह यादव, श्यामवीर सिह यादव व सरपंच के नाम प्रकाश में आए जिनके विरुद्ध विवेचना संपादित की गयी। तमामी विवेचना निरीक्षण घटनास्थल, बयान वादिनी, बयान गवाहन स्वतंत्र साक्षी व अभियुक्तगणों द्वारा प्रयोग किए जा रहे मोबाइल नंबरों की काल डिटेल व टावर लोकेशन से अभियुक्तगण रमेश के विरुद्ध जुर्म धारा 147, 148, 149, 120 बी, 303, 302, 34 आई.पी.सी. का जुर्म बखूबी साबित हुआ व अभियुक्त राजकुमार व सत्यवीर सिंह यादव, श्यामवीर सिंह यादव व सरपंच के विरुद्ध जुर्म धारा 147, 148, 149, 120 बी, 302, 34 आई.पी.सी. बखूबी साबित होने पर चालान जरिए आरोपपत्र सं० 92/2017 माननीय न्यायालय किया गया था। आरोपपत्र मेरे द्वारा

सी०सी०टी०एन०एस० पर बोल बोल कर टाइप कराया गया जिस पर मैंने अपने हस्ताक्षर करके माननीय न्यायालय प्रेषित किया था जो पत्रावली में का०स० 3ए/1 लगायत 3ए/10 है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–19 डाला गया। दौरान विवेचना अभियुक्तगणों के मोबाइल नंबर की सी०डी०आर० को अवलोकन करने के पश्चात संलग्न सी०डी०किया गया था जोकि पत्रावली में का०स० 10ए/3 ल० 10ए/12 अभियुक्त रमेश के मोबाइल नंबर 7887294286 की सी०डी०आर० है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–20 डाला गया तथा का०स० 10ए/13 लगायत 10ए/22 अभियुक्त राजकुमार के मोबाइल नंबर 9793345983 की सी०डी०आर० है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–21 डाला गया तथा का०स० 10ए/23 लगायत 10ए/30 अभियुक्त सत्यवीर के मोबाइल नंबर 9519813038 की सी०डी०आर० है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–22 डाला गया। थाना अमृतपुर पैरोकार द्वारा सील सर्व मोहर कपड़े का बण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर मुकदमा 757–BAL–17, मु. अ.सं. 141/17 धारा 25/27A A थाना अमृतपुर, फतेहगढ़ बनाम रमेश इबारत अंकित है। सील सर्व मोहर बण्डल को माननीय न्यायालय की अनुमति से उभयपक्ष की उपस्थिति में खोला गया जिसमें से एक प्लास्टिक की पालीथिन निकली जिसमें तीन खोखा कारतूस क्रमशः TC–1, TC–2 व EC–1 निकले और जिसमें से एक सील सर्व मोहर कपड़े के बण्डल एक अन्य बण्डल निकला जिसमें एक तमंचा 315 बोर हुलिया फर्द मुताबिक निकला कपडे के बण्डल पर मुकदमा अपराध संख्या 141/17 थाना अमृतपुर बनाम रमेश निवासी चपरा धारा 25/27 आर्म्स एक्ट विवरण अंकित है। इस पर विवेचक के हस्ताक्षर व उसके नीचे दिनांक 31.08.2017 अंकित है जिस पर अभियुक्त रमेश के हस्ताक्षर भी अंकित है। जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श –2 व वस्तु प्रदर्श –3, वस्तु प्रदर्श –4 व दोनों कपड़ों पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श –5 व वस्तु प्रदर्श –6 डाला गया है। थाना पैरोकार के द्वारा एक अन्य सील सर्व मोहर कपडे का बण्डल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर लिखी इबारत 805 BAL–18 मु.अ.सं–129/17 धारा 302/34 IPC बनाम रमेश आदि थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ अंकित है उसे माननीय न्यायालय की अनुमति से उभयपक्ष की उपस्थिति में खोला गया जिसमें से दो लिफाफे कागज के निकले जिन पर क्रमशः 805 BAL–18 फतेहगढ़ मूल पैकिंग लिफाफा तथा दूसरे लिफाफे पर 805 BAL–18 अंकित है जिस पर वस्तु प्रदर्श–7 डाला गया। कागज एक सील बन्द लिफाफे में से कागज के दो और लिफाफे निकले जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–8 व वस्तु प्रदर्श–9 डाला गया जिसमें एक लिफाफे के अन्दर से एक कपडा निकला जिस

पर लिखी इबारत अपराध संख्या 129/17 धारा 302/34 मृतक विश्राम सिंह थाना अमृतपुर अंकित है जिस पर वस्तु प्रदर्श–10 डाला गया। तथा दूसरे लिफाफे में से कागज में लिपटी एक बुलेट हुलिया फर्द मुताबिक निकली जिस पर लिखी इबारत 805 BAL–18 फतेहगढ़ एक .315 बोर की चली बुलेट चिन्हित EB–1 अंकित है जिस पर वस्तु प्रदर्श–11 डाला गया। थाना पैरोकार द्वारा एक सील सर्व मोहर प्लास्टिक का थैला भी प्रस्तुत किया गया जिसके ऊपर लिखी इबारत 1021–5–17 C.O अमृतपुर, फतेहगढ़ Cr no 129/17 U/S 302/34 IPC, P/S अमृतपुर S/V रमेश आदि अंकित है इस पर वस्तु प्रदर्श–12 डाला गया। जिसको खोलने पर दो अदद टिन की डिब्बी सील सर्व मोहर निकली जिसमें से एक डिब्बी में से मिट्टी सादा व दूसरी में मिट्टी खून आलूदा निकली जिन पर मुकदमा अपराध संख्या 129/17 धारा 302/34 भा.दं.सं मृतक विश्राम थाना अमृतपुर अंकित है। इन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–13, वस्तु प्रदर्श –14 डाला गया। खूना आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी मैंने घटनास्थल से एकत्र की थी जिसकी फर्द मौके पर तैयार की थी।"

22– प्रस्तुत मामले में तथ्य के समस्त साक्षियों का विवेचन ऊपर किया जा चुका है जिसमें तथ्य के समस्त साक्षी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं कर रहे हैं तथा पी०डब्लू3 फूलचन्द्र, पी०डब्लू 4 रावेन्द्र, पी०डब्लू6 उपेन्द्र को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही भी घोषित किया गया है तथा अभियोजन ने इन साक्षियों से प्रतिपरीक्षा भी की है किन्तु प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रतिकूल तथ्य को निकलवानें में असफल रहा है। इन साक्षियों ने विवेचक को दिये अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयानों से भी इन्कार कर दिया है। इन साक्षियों में से पी०डब्लू1, 2 तथा पी०डब्लू 5 ने इसी तथ्य पर बल दिया है कि तहरीर में जो मुल्जिमान नामजद थे उन्हीं ने वारदात को अंजाम दिया है तथा पुलिस ने उन नामजद व्यक्तियों से मिलकर वर्तमान अभियुक्तगण को फंसा दिया। अभियुक्त रमेश ने अपने बयान धारा 313 दं०प्र०सं० में भी इसी तथ्य पर बल दिया है कि नामजद व्यक्तियों ने ही उसके पिता की हत्या की है तथा उसको पुलिस ने फंसा दिया। तथ्य के सभी साक्षियों ने पुलिस को दिये अपने धारा 161 दं०प्र०सं० से इन्कार किया है। इस प्रकार यह साक्ष्य विहीन केस है जिससे अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा धारा- 147,148,,302/149, 303/149,120 बी भा०दं०सं सन्देह के परे साबित नहीं होते हैं।

23– जहां तक अभियुक्त रमेश से बरामद तमंचा व उसमें फंसे खोखा कारतूस का प्रश्न है, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–17 से स्पष्ट होता है कि विवेचक पी०डब्लू11 वादिनी के घर पर पूछताछ हेतु आये एवं वादिनी के पुत्र रमेश से भी पूछताछ की तो रमेश ने बताया कि उसने विरोधी लोगों को फंसाने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अपने पिता को गोली मारी थी ताकि 307 भा०दं०सं० का मुकदमा दर्ज करा रामपाल आदि को जेल भेजा सके। रमेश के बताने के आधार पर विवेचक ने रमेश को सरकारी गाड़ी से ले जाकर खाकिन तिराहे पर बने

प्रतीक्षालय के पास ईख के खेत के पास झाड़ झंखाड़ से एक तमंचा जिसमें खोखा कारतूस 315 बोर फंसा था, निकाल कर विवेचक को दिया। यद्यपि फर्द में विवेचक ने उल्लिखित किया है कि पास पड़ोस का कोई व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ किन्तु विवेचक ने उक्त व्यक्तियों का नाम अंकित नहीं किया जिनसे विवेचक ने गवाही के लिए कहा हो। जबकि विवेचक पी०डब्लू 11 ने मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि नामित अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया था कि पूरे गांव में लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि मृतक का लड़का रमेश अपने साथियों के साथ अपने पिता को गोली मार कर 307 का मुकदमा बनाकर हम लोगों को जेल भेजना चाहता था परन्तु उसके पिता की गोली से मृत्यु हो गयी। यदि नामजद व्यक्तियों ने इस प्रकार का बयान दिया था तो उन्हीं नामजद व्यक्तियों को तमंचा बरामदगी के समय गवाही के लिए बुलाया जा सकता था एवं यहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह नामजद व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं होते। इस मामले में वास्तव में विवेचक ने स्वतन्त्र साक्षियों को तमंचा की बरामदगी के समय गवाही में लेने का प्रयास नहीं किया। दूसरे जिस स्थान से तमंचा निकाल कर अभियुक्त रमेश द्वारा विवेचक को दिया गया वह सार्वजनिक स्थान तिराहे पर स्थित प्रतीक्षालय के पास के खेत का है एवं इस मामले में कथित घटना दिनांक 27.08.2017 की बतायी गयी है तथा कथित तमंचा की बरामदगी दिनांक 31.08.2017 की होना कहा गया है इस मध्य उक्त स्थान पर किसी अन्य के हस्तक्षेप से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार तमंचा व खोखा कारतूस की बरामदगी सन्देहास्पद हो जाती है। धारा 25 आर्म्स एक्ट के विवेचक द्वारा न्यायालय के समक्ष यह स्वीकारोक्ति की गयी है कि यह बात सही है कि नक्शा नजरी में नक्शा नजरी बनाने की कोई तारीख नहीं अंकित है एवं तमंचा कारतूस सिटी मजिस्ट्रेट के सामने खोला गया था तथा उन्हीं के सामने सील किया गया था। यह साक्ष्य भी अत्यन्त विरोधाभासी है क्योंकि पत्रावली पर जो अभियोजन स्वीकृति है वह जिला मजिस्ट्रेट की है। साथ ही अभियोजन स्वीकृति अथवा फर्द बरामदगी में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है कि तमंचा चालू हालत में था। इस मामले में विवेचक ने मृतक की चारपाई के नीचे से एक बुलेट बरामद किया था जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया जहां से आख्या प्रदर्श क–24 प्राप्त हो कर पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें यह परिणाम अंकित है कि विवादित बुलेट .315 बोर की चली बुलेट है। इस परिणाम से यह ज्ञात नहीं होता है कि जो तमंचा अभियुक्त रमेश से बरामद होना कहा गया है उसी तमंचे के फायर की उक्त बुलेट है। वैसे भी इस मामले में अभियोजन के तथ्य के सभी साक्षीगण अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता का समर्थन नहीं कर रहे हैं एवं अभियुक्तगण को निर्दोष बता रहे हैं। इस प्रकार अभियोजन घटना के पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी है। अतः उपलब्ध साक्ष्य से, अभियोजन, अभियुक्तगण रमेश, राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर व सरपंच के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 302/149, 303/149, 120 बी भा०दं०सं० एवं अभियुक्त रमेश के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा

25/27 आर्म्स एक्ट को युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित करने में असफल रहा है तदनुसार अभियुक्तगण दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

आदेश

अभियुक्त रमेश, राजकुमार, सत्यवीर, श्यामवीर व सरपंच को लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147,148,302/149,303/149,120 बी भा०दं०सं० एवं अभियुक्त रमेश को आरोप अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है उसके बन्धपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में दाखिल बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र छह माह तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगें।

इस प्रकरण में भौतिक प्रदर्श यदि कोई हों, तो बाद बीतने मियाद अपील नियमानुसार विनष्ट किये जायें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विनष्ट किए जायें।

निर्णय की प्रति संबंधित सत्र परीक्षण पर रखी जाये।

दिनांकः 08.06.2026

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद। **ID No.U.P1907**

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 08.06.2026

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद। **ID No.U.P1907**